

प्रेस नोट दिनांक 07-02-2024

थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा 25000/-रु० के वांछित इनामिया गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को मय अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बदायूं श्री आलोक प्रियदर्शी के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराध / अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 07-02-2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 644/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के वांछित 25000 रु के इनामिया अभियुक्त मौ० साहिल पुत्र स्व० मौ० रसीद नि० मुगल गार्डन के पास कबुलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूं को मय अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

घटना क्रम :-

दिनांक 07.02.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं के द्वारा एक गैंगस्टर का अभियुक्त - मौ० साहिल पुत्र स्व० मौ० रसीद नि० मुगल गार्डन के पास कबुलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूं काफी समय से वांछित चल रहा था इसके उपर 25000 रूपये का इनाम रखा गया था अभि० उपरोक्त को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मौ० साहिल उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिविल लाइन पर मु०अ०सं० 86/24 धारा 3/25(1-B)(a) आर्म्स एक्ट बनाम मौ० साहिल उपरोक्त पंजीकृत कर अभियुक्त को मा० न्या० के समक्षपेश किया गया।

1. गिरफ्तारी का स्थान –

- अवन्ति तिराहा से बरेली बाईपास रोड क्षेत्र थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं।

2. गिरफ्तार किये गये अभि०गण का नाम –

- मौ० साहिल पुत्र स्व० मौ० रसीद नि० मुगल गार्डन के पास कबुलपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूं।

3. अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

- मु०अ०सं० – 11/23 धारा – 3/5/8 सी.एस एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं।
- मु०अ०सं० – 16/23 धारा – 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं।
- मु०अ०सं० – 644/23 धारा – 2/3 गुण्डा एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं।

- मु०अ०स० – 86/24 धारा – 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाईन जनपद बढायुं ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बढायुं।